न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 52 / 2024	2024 / 114	30--10--2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

--प्रार्थी

बनाम

01. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिकिशन, ग्राम सावडी, जिला अलवर।

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 06 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः--

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि
2. सीमा सैनी --वकील अप्रार्थी

::निर्णय::

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 06 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी यो निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार, प्रवर्तन अधिग अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिकिशन, ग्राग सावडी, अलवर की नरेश मिष्ठान भण्डार, रोठ की बावडी, काला कुंआ, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिकिशन, ग्राम सावडी, अलवर उपस्थित मिले। श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिकिशन की दुकान पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिकिशन द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों को रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मुकेश कुमार के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियग गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने को कारण उपरोक्तानुसार 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मैं. मॉडर्न गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री प्रेमप्रकाश मीणा पुत्र श्री हरिकिशन मीणा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया है कि प्रार्थी नरेश कुमार वास्तव पेशे से हलवाई है जो वर्ष भर विभिन्न आमजन की शादी विवाह, सवामणी एवं अन्य छोटे बडे समारोह में मिठाई बनाने का काम करता है, शेष खाली समय मे प्रार्थी ने नया बास चौराहे पर स्थित मिष्ठान भण्डार पर दुकान संचालित कर रखी है। जिस पर मिठाई का कारोबार करता है। नोटिस मे दर्ज नरेश मिष्ठान भण्डार सेठ की बावडी काला कुआँ अलवर का जो पता अंकित कर रखा है जो बिल्कुल ही गलत अंकित कर रखा है उक्त पते पर प्रार्थी की कोई मिठाई की दुकान नही है बल्कि उक्त पते पर प्रार्थी स्वयं का घर बना हुआ है। प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

की उक्त दुकान मुख्य नया बास चौराहे पर स्थित है। नोटिस में दर्ज दिनांक 21.09.2024 का प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा प्रार्थी की दुकान पर कोई 6 सलेण्डर जप्त नहीं किये, बल्कि प्रार्थी के घर पर रखे खाली 6 घरेलु सलेण्डर जप्त किये हैं ओर वे सलेण्डर भी प्रार्थी स्वयं के नहीं थे बल्कि प्रार्थी के अडौसी पडौसी के सलेण्डर हैं उक्त अडौसी पडौसी प्रार्थी के घर के पास झुग्गी झोपडियों में निवास करते है। जिनके पास कीमति व भारी समान को सुरक्षित रखने का कोई स्थान नहीं है। जिस कारण प्रार्थी के घर पर बने हॉल में यह अडौसी पडौसी अपना सिलेण्डर की चोरी होने की आंशका एवं सुरक्षा की दृष्टी से प्रार्थी के घर पर रख रखे थे। जिनका प्रार्थी कोई व्यवसायिक या घरेलु रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर रहा था। प्रत्येक सलेण्डर का अलग अलग उपभोक्ता है जिनके नाम स्वयं की पास बुक भी बनी हुई है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। बुद्धाराम कोली पुत्र नन्नुराम जाति कोली निवासी सेठ की बावडी अलवर, भगवती देवी निवासी सेठ की बावडी अलवर, अनिता देवी निवासी सेठ की बावडी अलवर, गीता देवी निवासी काला कुआँ अलवर, वेदप्रकाश निवासी कच्ची बस्ती सेठ की बावडी अलवर, दौलत राम पुत्र मिश्रीलाल सेठ की बावडी अलवर के सलेण्डर प्रार्थी के घर पर रखे हुए थे, जिनको प्रवर्तन अधिकारी ने जप्त कर लिये। प्रार्थी उक्त सलेण्डर के असल मालिक से मिलवाने व सलेण्डर के कागजात दिखाने का भी मौका नहीं दिया। किसी भी कानूनी कार्यवाही से पूर्व न्यायहित में प्रार्थी को सुनने जाने व विवाद बिन्दु से संबंधित स्पष्टीकरण मय दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है। जबाब के साथ मुल उपभोक्ता के गैस पास बुक की फोटो प्रति प्रस्तुत कि जा रही है। इसके अलावा श्रीमान के समक्ष उक्त उपभोक्ताओ के प्रार्थी शपथ पत्र पेश करने को भी तैयार है। श्रीमान जी उक्त नोटिस कार्यवाही मौके पर जल्दबाजी में की गई है मोके पर प्रार्थी को सुने जाने व दस्तावेज पेश करने का अवसर प्राप्त नही हुआ। जहाँ से सलेण्डर जप्त किये गये है वह स्थान प्रार्थी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं होकर प्रार्थी का स्वयं का निवास स्थान है तथा सलेण्डरों का ना तो घरेलू उपयोग किया जा रहा था और ना ही व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, बल्कि अडौसी पडौसी के अमानती सलेण्डरों को प्रार्थी के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ था। अतः जबाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि जबाब पर गौर फरमाते हुए नोटिस की कार्यवाही पर नरम रूख अपनाते हुए कोई दण्डात्मक कार्यवाही ना लाई जावे तथा प्रार्थी के जबाब व संलग्न दस्तावेज पर गौर फरमाते हुए प्रार्थी व अन्य गरीब उपभोक्ताओं के जप्त सलेण्डर उनके निजी व घरेलु उपभोग बाबत वापिस लोटाने एवं नोटिस की कार्यवाही को निरस्त फरमाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में कथन किया गया है कि प्रवर्तन जांच अधिकारी ने जहाँ से सलेण्डर जप्त किये गये है वह स्थान प्रार्थी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं होकर प्रार्थी का स्वयं का निवास स्थान है तथा सलेण्डरों का ना तो घरेलू उपयोग किया जा रहा था और ना ही व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, बल्कि अडौसी पडौसी के अमानती सलेण्डरों को प्रार्थी के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ था। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिकिशन की दुकान पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री मुकेश कुमार द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों को रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मुकेश कुमार के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6--ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम
26/12/24

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6--ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)